आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Tamil Development, Religious Endowments and Information Department

Journalists Family Pension

तमिलनाडु की यह योजना पेंशन पाने वाले पत्रकार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को हर महीने पारिवारिक पेंशन देती है।

क्या मिल सकता है

दिवंगत पत्रकार पेंशनधारी की पत्नी को हर महीने पेंशन मिलती है, जो पृष्ठ पर 2000 रुपये दिखाई गई है।

किसके लिए है

उन पत्रकारों की पत्नियाँ जिन्हें पत्रकार पेंशन मिलती थी और जिनका निधन हो चुका है।

मुख्य शर्तें

- आवेदक ऐसे पत्रकार की पत्नी हो जिसका निधन हो चुका है।
- दिवंगत पति पत्रकार पेंशनधारी रहा हो।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://www.tn.gov.in/scheme_details.php?id=NDU=
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/tamil-nadu/tn-journalists-family-pension/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।